न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 3/2021 दायरा दिनांक 25.02.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

बाबूलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी पचलावड़ा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
– प्रार्थी

– बनाम–

1. कजोड पुत्र गोपाल जाति सहरिया निवासी पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
2. रामदयाल पुत्र गोपाल जाति सहरिया निवासी पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
3. कालू पुत्र गोपाल जाति सहरिया निवासी पचलावडा तहसील किशनमंज जिला बांरा (राज)
4. कन्हैयालाल पुत्र गोपाल जाति सहरिया निवासी पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
5. मांगी बाई पुत्री गोपाल जाति सहरिया निवासी पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बांरा (राज)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज०

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
श्री रामकिशन नागर :– अभिभाषक, प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय **दिनांक 27.05.2025**

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के पिता को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थीगणों की तलबी की गई।

वांके ग्राम पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बांरा में खसरा संख्या 82 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा जिसको प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी का आंवटन दिनांक 13.12.1975 को अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को अवैधानिक तरीके से आंवटन नियमो का खुला उल्लघंन कर किये जाने के कारण आंवटन निरस्त किये जाने योग्य है। अपार्थी कम 1 ता 5 अथवा इनके पिता गोपाल वल्द कल्ला ग्राम पचलावडा के कभी भी स्थायी निवासी नहीं रहे है। आवंटन के वक्त आंवटी ग्राम पचलावड़ा में अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। उसी समय आंवटी गोपाल ने वास्तविक तथ्य छिपाकर अपने आपको कपटपुर्वक ग्राम पचलावडा का स्थायी निवासी बताकर विवादित आराजी को अपने नाम अवैध रूप से आंवटन करवा लिया जो निरस्त किये जाने काबिल है।

अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को किया गया आंवटन अपूर्ण कौरम में किये जाने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि आंवटन के समय आवंटन कमेटी का कौरम पूर्ण नहीं था। अर्थात आंवटन के समय आंवटन कमेटी मे पूर्ण सदस्य नहीं थे। आंवटन दिनांक 13.12.1975 से पूर्व से ही विवादित आराजी पर प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल पुत्र श्रवण लाल का कब्जा था रिकार्ड ऑफ राइट खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 से 2032 तक में उल्लेख है। और विवादित आराजी ऑक्यूपाइड भूमि थीं। जो आंवटन के लिये उपलब्ध भी

नही थी। इसके बावजूद विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को अवैध तरीके से कर दिया। इस कारण भी अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को किया गया आंवटन निरस्त किये जाने योग्य है।

आंवटन शर्तों के मुताबिक किसी भी आंवटी को आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि को काश्त करना आवश्यक है तथा द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण आंवटित आराजी को काश्त करना आवश्यक है। और यदि आवंटी उक्त शर्तों की पालना नहीं करता है तो आंवटन शर्तों के अनुसार आवंटी का आंवटन निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला आंवटी ने उक्त शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में आवंटी गोपाल वल्द कल्ला का आवंटन दिनांक 13.12.1975 निरस्त किये जाने काबिल है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 ने अथवा उनके पिता गोपाल वल्द कल्ला ने आवंटित आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया है। इसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2032–2035 से भी होती है। जिसमें आंवटन के तुरन्त बाद आंवटी गोपाल के गांव छोड़ जाने का उल्लेख है। और अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 ने भी उक्त आराजी को कभी काश्त नही किया है। प्रार्थी के पिता कन्हैया लाल ने ही विवादित आराजी को फाड़–तोड़कर झाड़–झंखाड़ काटकर और साफ–सफाई कर उपजाऊ एवं कृषि काबिल बनाया है। जिसमें प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता ने काफी मेहनत व पैसा खर्च कर विकास कार्य किया है। प्रार्थी विवादित आराजी का अपने पिता के जीवन काल से निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता गोपाल वल्द कल्ला को किया गया आंवटन निरस्त किये जाने काबिल है। आंवटी गोपाल पुत्र कल्ला की मृत्यू हो चुकी है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 मृतक आंवटी के वारिसान एवं कायम मुकामान है। जो प्रार्थी को आये दिन विवादित आराजी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते है इसी कारण प्रार्थना पत्र पैश करने का कारण उत्पन्न हुआ है।
अप्रार्थी कम 1 ता 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें है। इनके विरुद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है :–कि अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के पिता गोपाल पुत्र कल्ला को ग्राम पचलावडा तहसील किशनगंज जिला बारां की आराजी खसरा नं. 82 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा (वर्तमान नं. 189 रकबा 1.6000 हंक्टै.) का आंवटन दिनांक 13.12.1975 को अवैध तरीके से किया गया है। क्योंकि इस दिनांक को अप्रार्थी कम 1 लगायत 5 के पिता गोपाल पुत्र कल्ला भूमिहीन नहीं था तथा अप्रार्थी क्रमं 1 लगायत 5 के पिता गोपाल पुत्र कल्ला का मूल गांव पचलावडा नहीं था। लेकिन आंवटी गोपाल आंवटन के समय उसके रिश्तेदारों के यहां ग्राम पचलावडा आया हुआ था जिसने अपने आंवटन फार्म में इस तथ्य को छिपाते हुए एवं अपने आपको मिथ्या वचन के आधार पर ग्राम पचलावड का मूल निवासी एवं भूमिहीन बताकर अवैध आंवटन करवा लिया है। जो कि मिसरिप्रजेन्टेशन की श्रेणी में आता है। और राजस्व मण्डल की वृहत पीठ द्वारा 1990 आर. आर. डी. पेज 465 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर कपट एवं मिथ्या वचन के आधार पर कोई भी आंवटन कराई गई है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी ऐसे अवैध भूमि आंवटन को कभी भी नियम 14 (4) के तहत श्री मान कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

यह के आंवटी एवं उसके पुत्रों अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 ने आज दिन तक विवादित आराजी को कभी काश्त नही किया है। प्रार्थीही विवदित आराजी पर अपने पुर्वजो के समय से काबिज काश्त है। माननीय राजस्व बोर्ड अजमेर केम्प जयपुर आर. आर.डी. 2001 पेज 465 राजू बनाम आम जनता एवं अन्य 1981 आर.आर.डी. पेज 681 तथा राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने हरिशंकर बनाम स्टेट ऑफ राज. एस. बी. रीट पीटीशन सं. 16433/2016 की नजीरों में यह अभिनिर्धारित किया है। कि 1970 के आंवटन नियमो के नियम 14 (3) में यह शर्त दी हुई है कि आंवटी द्वारा नियमानुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय वर्ष में शेष भूमि काश्त किया जाना आवश्यक है। इन शर्तो का आंवटी द्वारा उल्लंघन किया जाता है। तो नियम 14 (4) के अन्तर्गत एसी परिस्थिति में आंवटन रद्व किया जा सकता है। जबकि आंवटी द्वारा आंवटन की शर्तो में से किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो और आंवटन नियम 14 (8) (ए) में यह भी प्रावधान किया गया है। कि आंवटी ने आंवटन शर्तो के अनुसार सख्ती से कब्जा काश्त नहीं की है और आंवटित आराजी का उचित उपयोग नहीं किया है। तो राज्य सरकार द्वारा आंवटित आराजी को अपने कब्जे में लिया जा सकता है। उक्त प्रकरण में उक्त नजीरें पूर्ण रुप से चस्पा होती है। क्योंकि आंवटी ने आंवटित भूमि पर निर्धारित समयावधि में काश्त नहीं की है। एसी सूरत में आंवटन निरस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त आराजी दिनांक 13.12.1975 को आंवटन के लिए उपलब्ध नहीं थी क्योंकि आंवटन के पूर्व से ही इस आराजी पर प्रार्थी के पिता कन्हैयालाल का कब्जा काश्त था। जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025 से 2031 से स्पष्ट है और खसरा गिरदावरी के कॉलम नं. 41 में कब्जे का उल्लेख है। आंवटन के समय एवं आंवटन के पूर्व उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता का कब्जा रहा था तथा उनके मरणोपरान्त प्रार्थी ही आज दिन तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। तथा पत्रावली में एसा कोई कब्जे बाबत अप्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य पैश नहीं किया है। और न हीं पत्रावली में किसी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या बहस खण्डन किया हैं। जिससे यह साबित हो कि अप्रार्थी अथवा उसके पिता ने उक्त आराजी को कभी काश्त किया हो। एसी स्थिति में आंवटी गोपाल को किया गया अवैध आंवटन खारिज करने के अतिरिक्त न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। यह कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 के कॉलम नं. 16 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गोपाल गांव छोड गया है। इससे भी साबित है कि अप्रार्थी का मूल गांव पचलावडा नहीं था तथा उसने विवादित आराजी को कभी काश्त नही किया।

हमने विद्वान वकील प्रार्थी के तर्कों व लिखित बहस का अवलोकन कर मनन किया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन है कि आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा नहीं की है। और ना ही भू–आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना की है, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। परन्तु आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.12.1975 को अप्रार्थी कम 1 ता 5 के पिता गोपाल पुत्र कल्ला जाति सहरिया निवासी पचलावडा को ग्राम पचलावडा की आराजी खसरा नं. 82 रकबा 9.17 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय के साथ वापिस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)